



Case No. 39/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

**SUMMONS**

फाइल सं.: NCST/DEV-3316/JH/145/2024-RO-RNC-RU-IV

श्री नीलेन्द्र कुमार सिंह

अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक,

सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,

दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,

रांची, झारखंड 834029

Email Id: [cmd.ccl.cil@coalindia.in](mailto:cmd.ccl.cil@coalindia.in)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 08/10/2025 को 14:10 HRS, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

**मामलों का संदर्भ :-**

संदर्भ 1

- (i) अभ्यावेदक श्री सुशील उरांव, पिता स्व. श्री बुधुवां उरांव, न्यू शांति नगर, पो.- खलारी, थाना- मैकुस्किगंज, जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति (बाहरी) लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर खरीद बिक्री करने के संबंध में" ।
- (ii) सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, रांची पत्र सं म प्र (का0 एवं औ0 सं0) एससी -एसटी - सेल/सुशील /2025/1331 दिनांक 13.05.2025।

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 30/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

*(Signature)*

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes  
Ministry of Law and Justice  
New Delhi-110003

मोहर



Copy to:- NIC for uploading